# न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

## पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : 2024/172

सिविल प्रकरण संख्याः– 80/2024 तारीख रजू 02.09.2024

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

**बनाम**

1. राघवेन्द्र सिंह राजावत पुत्र श्री रघुवीर सिंह राजावत (विक्रेता) मैसर्स स्काईजा रूफ टॉप लॉज, रणथम्भौर सर्किल, गणपति प्लॉजा, सवाई माधोपुर 322001
2. मानवेन्द्र सिंह राजावत पुत्र श्री रघुवीर सिंह राजावत (विक्रेता) मैसर्स स्काईजा रूफ टॉप लॉज, रणथम्भौर सर्किल, गणपति प्लॉजा, सवाई माधोपुर 322001 निवासी पटेल नगर, रणथम्भौर रोड, सवाई माधोपुर 322001

......... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

**निर्णयः–** दिनांक 30.03.2026

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री बाबूलाल तगाया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 17.05.2024 को दोपहर 02.00 पी.एम. पर उक्त फर्म स्काईजा रूफ टॉप लॉज, रणथम्भौर सर्किल गणपति प्लॉजा, सवाई माधोपुर पर पहुंचा मौके पर एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिसे आवेदक ने अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। व्यक्ति ने अपना नाम राघवेन्द्र सिंह राजावत पुत्र श्री रघुवीर सिंह राजावत फर्म का विक्रेता एवं मानवेन्द्र सिंह राजावत को फर्म का प्रोपराईटर होना बताया एवं संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु Medium Fat Frozen Dessert (Glory Brand) रखा हुआ था। Medium Fat Frozen Dessert (Glory Brand) में गुणवत्ता/मिलावट का अनदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच 300x4 = 1200 ग्राम गत्ता पैक खरीदकर उसकी कीमत 150/– रूपये विक्रेता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री लीलधर के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने खरीदशुदा Medium Fat Frozen Dessert (Glory Brand) 300x4 = 1200 ग्राम को एक स्टील की भगौनी में खाली कर चार प्लास्टिक की बोतलों में बराबर–बराबर मात्रा में डालकर 25–25 बूंदे फार्मेलीन डाली गई एवं बोतलों को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये ... पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ... H-3269 दर्ज किया। प्रत्येक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:12:24 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक **H-3269** नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे राघवेन्द्र सिंह राजावत ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति विक्रेता राघवेन्द्र सिंह राजावत को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के एक आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/466 दिनांक 10.06.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/2003/एक्ट/2024/2011 दिनांक 30.05.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** Medium Fat Frozen Dessert (Glory Brand) **Sub-Standard** as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations 2011 प्रकृति का होना पाया गया है।

आवेदक को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/944 दिनांक 29.08.2024 के द्वारा उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा Sub-Standard, Medium Fat Frozen Dessert (Glory Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में जुर्माना योग्य अपराध है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:12:24 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण जरिये वकील उपस्थित हुये। अभियुक्तगण द्वारा प्रकरण का जवाब पेश किया गया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्तगण ने Sub-Standard, Medium Fat Frozen Dessert (Glory Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

वकील अभियुक्तगण ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन विधि व तथ्यों के विपरीत है जिसमें आवश्यक कानूनी तत्वों का अभाव है। अतः प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। अभियुक्तगण को न तो कोई बिल दिया गया है अैर ना ही कैश मेमो जारी किया गया है तथा न ही कोई बिल, कोई कैश मेमो व कोई व्यवसायिक रसीद अभियुक्तगण द्वारा जारी नहीं की गई है। विधि के अनुसार विक्रय सिद्ध नहीं है तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 के अन्तर्गत उत्तरदायित्व तभी बनता है जब विधिक रूप से Sale for Human Consumption सिद्ध हो। तथा उपरोक्त प्रकरण में न तो जन विक्रय सिद्ध है और न ही व्यापारिक उद्देश्य सिद्ध है। अभियुक्तगण एक विधि का पालन करने वाले व्यवसायी है। यदि परीक्षण रिपोर्ट में कोई कथित कमी पाई गई है तो वह निर्माता से संबंधित है क्योंकि निर्माता ने ही सेम्पल के लिये एक पैकेट दिया था तथा उत्पाद के निर्माण, गुणवत्ता एवं मानको की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी निर्माता की होती है। धारा 51 के अन्तर्गत दण्ड असंगत है जब कोई व्यवसायिक विक्रय ही सिद्ध नहीं होता तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही स्वतः ही असंगत व अवैध है। आवेदन में आवेदक के द्वारा गलत तथ्य न्यायालय के समक्ष पेश किये है जिनकी कोई सत्यता नहीं है एवं उपरोक्त प्रकरण में तथ्यों को बढा चढाकर एंव गलत रूप से दर्शाया गया है जो एक दम मनगढंत एवं झूठे हैं। अभियुक्तगण एक विधि का पालन करने वाले व्यवसायी है। यदि परीक्षण रिपोर्ट में कोई कथित कमी पाई गई है तो वह निर्माता से संबंधित है क्योंकि निर्माता ने ही सैम्पल के लिए एक पैकेट दिया था तथा उत्पाद के निर्माण, गुणवत्ता एवं मानको की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी निर्माता की होती है। आवेदक ने जानबूझ कर आइसक्रीम मीडियम फैट फ्रोजन डेजेट के निर्माता गणपति एन्टरप्राईजेज नियर पॉलिस लाईन, आगरा बाईपास रोड दौसा राजस्थान से मिलीभगत कर उससे साज कर के निर्माता को उपरोक्त प्रकरण में जानबूझ कर पक्षकार नहीं बनाया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निर्माता से साज कर के जानबूझ कर उसे उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त नहीं बनाया है जबकि निर्माण प्रक्रिया से सम्बन्धित समस्त जिम्मेदारी निर्माता की होती है। अन्त में वकील अभियुक्तगण द्वारा न्यायनिर्णयन आवेदन को खारिज करने एवं अभियुक्तगण को दोषमुक्त करते हुए कार्यवाही समाप्त करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि राज्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/2003/एक्ट/2[illegible]/[illegible]1 दिनांक 30.05.2024 के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:12:24 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** Medium Fat Frozen Dessert (Glory Brand), **Sub-Standard** as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations 2011 प्रकृति का होना पाया गया है। लेब की जांच रिपोर्ट के अनुसार नमूने में Total solids 20.11% दिया हुआ है जबकि Not Less than 30.00% होना चाहिए था। आवेदक द्वारा अभियुक्तगण से Medium Fat Frozen Dessert (Glory Brand के अग्रिम खरीद बिल प्रस्तुत करने हेतु रजिस्टर्ड पत्र लिखा गया था किन्तु फर्म मालिक एवं मौके पर विक्रेता द्वारा कोई अग्रिम खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया जबकि उक्त पत्र में अंकित किया गया था कि अग्रिम खरीद बिल प्रस्तुत नहीं करने पर आपको अन्तिम पार्टी मानते हुए कार्यवाही की जावेगी। विक्रेता फर्म के द्वारा बिना बिल माल खरीद कर जीएसटी नियमों का उल्लंघन किया है। इस प्रकार आवेदक द्वारा पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार की गई है। अभियुक्तगण के बहस में कथित तर्क सही साबित नहीं होते है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्तगण द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ** Medium Fat Frozen Dessert (Glory Brand) का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 लगायत 2 पर संयुक्त रूप से 20,000/–रू0 (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **30.03.2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:12:24 IST
Reason: SelfAttested